



e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP03156716088489V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 05:10 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14189304/ MANKAPUR/ UP-INDIA
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1418930401912846854783V
Purchased by	: MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN GAURA CHAOWKI GONDA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: MANAGER PT JAMUNA PRASAD SIKHAN SANTHAN
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line



प्रबन्धक

पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान
गौरा चौकी, बभनजोत गोण्डा (उ०प्र०)

विशम्भर
अध्यक्ष

पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान
गौरा चौकी, बभनजोत गोण्डा (उ०प्र०)

Statutory Alert

- The authenticity of the e-stamp certificate should be verified at www.stampcert.gov.in or using e-Stamp Mobile App at <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stampcert>
- Any change made in the e-stamp certificate after its issuance is not valid.
- In case of any dispute or grievance, please contact the concerned authority.

2/10

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र

हम विशम्भर त्रिपाठी एवं राजमणि त्रिपाठी क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक, पं जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान, गौरा चौकी, गोण्डा उ.प्र.- 271312 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा पं जमुना प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, ग्राम- मन्त्रीजोत, पोस्ट- गौरा चौकी, गोण्डा उ.प्र.- 271312 नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
 2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम- मन्त्रीजोत में गाटा संख्या 443/0.0810 हे० व 451/0.3370 हे० व 453/0.4110 हे० कुल तीन किता रकबा 0.829 हे० (2.048 एकड़) भूमि है।
 3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
 4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के 443/0.0810 हे० व 451/0.3370 हे० व 453/0.4110 हे० कुल तीन किता रकबा 0.829 हे० (2.048 एकड़) भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.02.2022 द्वारा पारित किया गया है।
 5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
 6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
 7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान किया जायेगा।
 8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा प्रदान किया जायेगा।
 9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
 10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार की सुसज्जित किया जायेगा।
 11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
 12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

हो प्रबन्धक

प्रबन्धक

पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान
गौरा चौकी, मन्त्रीजोत गोण्डा (उ०प्र०)

हो अध्यक्ष

पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान,
गौरा चौकी, मन्त्रीजोत गोण्डा (उ०प्र०)

SWORN & VERIFIED

BEFORE ME

ON

Sattar Ali Khan

ADV. & NOTARY

Bankapur, Gondal (U.P.)